प्रेस प्रकाशनी

अगस्त 2010

पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

4 अगस्त 2010

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए निम्नलिखित कंपनियों, जिनका पता उनके नाम के सामने दर्शाया गया है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद यह कंपनियाँ गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती हैं।

कंपनी का नाम	पंजीकृत कार्यालय का पता	पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या और दिनांक	निरस्त करने की तारीख
मेसर्स सहिल सिक्योरिटीज लिमिटेड	एम-25, पहली मंज़िल, ग्रेटर कैलास पार्ट-I(मार्केट), नई दिल्ली-110048	14.01058 दिनांक - 21 अगस्त 1998	2 जुलाई 2010
मेसर्स जय माता पाइप्स प्राइवेट लिमिटेड	107, पहली मंज़िल, बी-110, साउथ गणेश नगर, दिल्ली-110092	बी-14.02712 दिनांक - 27 सितंबर 2002	6 जुलाई 2010

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में परिभषित किया गया है।

रिज़र्व बैंक ने बेलगांव कैथोलिक को-आपरेटिव बैंक लि., बेलगांव, कर्नाटक का लाइसेंस रद्द किया

5 अगस्त 2010

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि बेलगांव कैथोलिक को-आपरेटिव बैंक लि., बेलगांव, कर्नाटक के अर्थक्षम नहीं रह जाने और कर्नाटक सरकार के परामर्श से बैंक को पुनरु ज्जीवित करने के प्रयास असफल हो जाने तथा सतत

अनिश्चितता के कारण जमाकर्ताओं को होनेवाली असुविधा के परिप्रेक्ष्य में भारतीय रिज़र्व बैंक ने 3 अगस्त 2010 को कारोबार की समप्ति के बाद बैंक को दिया गया लाइसेंस रद्द करने का आदेश जारी किया। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, कर्नाटक राज्य से भी बैंक के समापन और उसके लिए समापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है। उल्लेख किया जाता है कि बैंक के समापन पर हर जमाकर्ता निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआइसीजीसी) से 1,00,000 (एक लाख रु पये मात्र) रु पये की मौद्रिक सीमा तक अपनी जमारशियों को वापस पाने का हकदार होता है।

लाइसेन्स रद्द किये जाने के अनुसरण में बेलगांव कैथोलिक को-आपरेटिव बैंक लि., बेलगांव, कर्नाटक पर बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 5(ख) के अंतर्गत जमारशियां स्वीकार करने और उन्हें वापस लौटाने सहित बैंकिंग कारोबार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

किसी भी स्पष्टीकरण के लिए जमाकर्ता श्री बी.शिवनानजप्पा, उप महाप्रबंधक, शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, बंगलूर से संपर्क कर सकते हैं। उनका संपर्क ब्यौरा निम्नानुसार है :

डाक पता: 10/3/8, नृपतुंग मार्ग, बंगलूर-560001. टेलीफोन नंबर : (080) 2211 6260; फैक्स नंबर : (080) 22293668 / 22210185;

ब्रह्मदेवदादा माने सहकारी बैंक लिमिटेड, सोलापुर पर दण्ड लगाया गया

11 अगस्त 2010

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए) (1)(बी) के प्रावधानों (सहकारी समितियों पर यथालागू) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए ब्रह्मदेवदादा माने सहकारी बैंक लिमिटेड, सोलापुर, महाराष्ट्र पर 5.00 लाख रु पये (पांच लाख रु पये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। यह दण्ड बेजमानती ऋण सुविधाएं प्रदान करने संबंधी दिशनिर्देशों का उल्लंघन करने, विभिन्न उधार खातों में ऋण विप्रेषण की अनुमति देने, अध्यक्ष/निदेशक/उनके सगे-संबंधियों अथवा उन फर्मों/कंपनियों जिनमें उनके किसी भी निदेशक की रू चि है, को बैंक गारंटी कमीशन में छूट देना, निदेशक और उनके सगे-संबंधियों को ऋण सुविधाएं देने के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक को गलत जानकारी देना, प्राथमिक सहकारी समितियों को ऋण सुविधाएं प्रदान करना, व्यक्तियों को ऋण देकर उस रशि को ऐसी कंपनियों में लगाना जिनमें निदेशकों की रूचि है, विवेकपूर्ण एकल व्यक्ति सीमा से अधिक बेजमानती अग्रिम प्रदान करना, विवेकपूर्ण सीमा से अधिक दान (डोनेशन) देना, कुछ ऋण खातों के संबंध में अपने ग्राहक को जाने (केवाइसी)/धन शोधन निवारण (एएमएल) के दिशनिर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित नहीं करना अदि के कारण लगाया गया।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया था। इस संबंध में बैंक से प्राप्त उत्तर के आधार पर रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उक्त उल्लंघन सबित हो गया है और उस पर दंड लगाया जाना है। तदनुसार, बैंक पर दण्ड लगाया गया।

बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड की शाखाएं 13 अगस्त से आइसीआइसीआइ बैंक लिमिटेड की शाखाओं के रू प में कार्य करेगी

12 अगस्त 2010

बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड की सभी शाखाएं 13 अगस्त 2010 से आइसीआइसीआइ बैंक लिमिटेड की

शाखाओं के रूप में कार्य करेगी। यह भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड का आइसीआइसीआइ बैंक लिमिटेड के साथ समामेलन की योजना की स्वीकृति के तहत किया गया है। यह योजना बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 44ए की उप धारा (4) में निहित अधिकारों के अंतर्गत स्वीकृत की गई है। यह योजना 12 अगस्त 2010 को कारोबार की समप्ति से लागू होगी।

स्टेट बैंक ऑफ इंदौर की शाखाएं 27 अगस्त 2010 से भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं के रूप में कार्य करेंगी

24 अगस्त 2010

स्टेट बैंक ऑफ इंदौर की सभी शाखाएं 27 अगस्त 2010 से भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं के रूप में कार्य करेंगी। स्टेट बैंक ऑफ इंदौर के जमाकर्ताओं सहित सभी ग्राहक 27 अगस्त 2010 से भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहकों के रूप में अपने खाते परिचलित कर सकते हैं।

भारत सरकार ने स्टेट बैंक ऑफ इंदौर के अधिग्रहण का आदेश 2010 जारी किया। भारत सरकार द्वारा 28 जुलाई 2010 को जारी आदेश भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 (1955 का 23) की धारा 35 की उप धारा (2) के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंदौर के अधिग्रहण की मंजूरी भारत सरकार के राजपत्र में असाधारण भाग II-धारा 3-उप धारा (I) के अंतर्गत जारी किया था। अधिग्रहण का आदेश 26 अगस्त 2010 को कारोबार की समप्ति से लागू होगा।

स्टेट बैंक ऑफ इंदौर की शाखाएं 26 अगस्त 2010 से भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं के रूप में कार्य करेंगी, 27 अगस्त 2010 से नहीं

25 अगस्त 2010

स्टेट बैंक ऑफ इंदौर की सभी शाखाएं 26 अगस्त 2010 से भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं के रूप में कार्य करेंगी, 27 अगस्त 2010 से नहीं जैसकि 24 अगस्त 2010 की रिज़र्व बैंक की प्रेस प्रकाशनी सं.287 में उल्लेख किया गया है। यह इस बात के कारण है कि अधिग्रहण का आदेश 25 अगस्त 2010 को कारोबार की समप्ति से प्रभावी होगा, 26 अगस्त 2010 को नहीं जैसा कि पूर्व में घोषित किया गया था।